संख्या : — /जी0एस0(शिक्षा)/ A15-8/2020

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालयः उत्तराखण्ड **देहरादूनः दिनांक 30 मई, 2022**

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्याः 9590 दिनांक 15 जनवरी, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा क्वाड्रा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, ग्राम व पो0 बेलड़ा, रूड़की, जनपद हरिद्वार को बी0एससी0–नर्सिंग पाठ्यक्रम में 40 सीट एवं पोस्ट बी0एससी0–नर्सिंग में 20 सीटों के साथ शैक्षिक सत्र 2019–20 का अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2019–20 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम–2014 की धारा–36 (1) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किया गया है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	क्वाड्रा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, ग्राम व पो0 बेलड़ा, रूड़की, जनपद हरिद्वार	1. बी0एससी0–नर्सिंग 2. पोस्ट बी0एससी0–नर्सिंग	40 सीट 20 सीट	2019–20

1– निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

2– प्राभूति राशि के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्णित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराना तथा प्रश्नगत पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु नियामक संस्था से मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये उसकी एक प्रति इस सचिवालय को प्रेषित करना विश्वविद्यालय का दायित्व होगा।

3– विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, कार्यपरिषद की आवश्यकता एवं विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुये संस्थान को सम्बद्धता दिये जाने से पूर्व U.G.C/राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी, ताकि अध्ययनरत् छात्रों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

4– शैक्षिक सत्र 2019–20 व्यतीत हो चुका है। इसके दृष्टिगत मा0 कुलाधिपति द्वारा छात्र हित में सत्र 2019–20 के अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई है किन्तु इस स्वीकृति को नजीर न मानते हुए अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव मा0 कुलाधिपति महोदय की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि संस्थान में उपलब्ध ढांचागत सुविधायें U.G.C/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार पूर्ण हैं अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 811 (1)/जी0एस0/शिक्षा/ A15-8/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य, क्वाड्रा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, ग्राम व पो0 बेलड़ा, रूड़की, जनपद हरिद्वार।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।